संख्या–1711 / XXIV(8) / 2010–70 / 07

प्रेषक,

ओ0पी0तिवारी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

अधिष्ठाता,
प्रौद्योगिकी महाविद्यालय,
पंतनगर।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांकः 03 नवम्बर, 2010

विषयः– **प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पंतनगर में संगणक अभियंत्रण विभाग में अतिरिक्त विंग के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सीटीई / बी–5 / आयोजनागत / 10 / 161, दिनांक 24.09.2010 एवं पत्र संख्या–सीटीई / बी–5 / आयोजनागत / 10, दिनांक 20.10.2010 तथा शासनादेश संख्या–1234 / XXIV(8) / 2007–70 / 2007, दिनांक 28.03.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पंतनगर में संगणक अभियन्त्रण विभाग में अतिरिक्त विंग के निर्माण हेतु स्वीकृत आगणन ₹ 97.36 लाख के सापेक्ष अब तक अवमुक्त धनराशि ₹ 50.00 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 47.36 लाख में से अगली किश्त के रूप में ₹ 20,00,000 / – (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– व्यय उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की गई हैं। व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल एवं अन्य तदविषय शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकता के आधार पर तथा व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो वहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में समय–समय पर दिये गये निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाय एवं अगली स्वीकृति के समय योजनान्तर्गत अब तक अवमुक्त राशि का पूर्ण विवरण, इसके सापेक्ष व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय भौतिक प्रगति निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध करायेंगे।

6– संस्था को अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा सीधे आपको कर दिया जायेगा। संबंधित कोषागार बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

7– शासनादेश सं0 1234/XXIV(8)/2008–70/07 दिनांक 28.03.2008 में विहित शेष शर्तें यथावत रहेगी।

8– कार्य में त्वरित गति लाने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जायगी तथा कार्य समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित प्रारूप पर निर्माण संस्था के साथ एम0ओ0यू0 कर लिया जाय।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–2203–तकनीकी शिक्षा–00–आयोजनागत–112– इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान–00–03–पंत कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी, पंतनगर को सहायक अनुदान–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता" के नामें डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–642(P)/XXVII(3)/2010 दिनॉक 18.11.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5. उप निदेशक, निर्माण संयंत्र, निर्माण निदेशालय, जी0बी0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर।
6. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।